सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : तालवा, कैम्प दिनांक 04.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 113/2016 दायर तारीख 01.12.2016

1. भोलूराम पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बादशाहपुर तन तालवा बिहाजर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. मदन } पुत्रान नाथू
2. गणेश }
3. बर्फी पत्नी मदन
4. पुष्पा पत्नी गणेश
5. रामकरण पुत्र बहादुर

} जाति मीणा निवासी बादशाहपुर तन तालवा बिहाजर तहसील विराटनगर, जयपुर

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
7. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 04.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बादशाहपुर के हाल खसरा नम्बर 161, 162, 163, 165, 168 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है, न ही वादी ने अपनी भूमि का कभी प्रतिवादीगण को कब्जा करवाया है। प्रतिवादीगण धन बल एवं जन बल मे वादी से अधिक शक्तिशाली है, जिन्होनें वादी के खिलाफ नाजायज संगठन बना रखा है तथा वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इसी कृत्य के चलते प्रतिवादीगण ने वादी के खसरा

नम्बर 168/0.21 हैक्टेयर पर जबरन कब्जा करने के इरादे से दावा दायरी के अर्सा 5–7 रोज पूर्व नींव खोदना शुरू कर दिया, वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण ने वादी के साथ गाली गलौच की तथा मारने पीटने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण ने धमकी दी है, वे वादी की जमीन पर जबरन पुख्ता निर्माण कर, जबरन कब्जा करेगें। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 161/0.13, 162/0.12, 163/0.04, 165/0.04, 168/0.21 हैक्टेयर के किसी भाग पर जबरन कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें, वादी को खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें। वादी को शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 43 संवत् 2072–2075, फोटोप्रति थानाधिकारी मनोहरपुर को दी गई प्रार्थना पत्र की प्रति, फोटोप्रति नक्शा शीट आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तालवा बिहाजर में वास्ते पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 43 संवत् 2072–2075 आराजी खसरा नम्बर नम्बर 161/0.13, 162/0.12, 163/0.04, 165/0.04, 168/0.21 हैक्टेयर वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी अपनी आराजी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण की खातेदारी में बेजा दखल करते है, जिसकी शिकायत वादी ने थानाधिकारी पुलिस थाना मनोहरपुर को जरिए प्रार्थना पत्र की है। प्रतिवादीगण पूर्व बावजूद सम्यक तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहे, जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तालवा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 व्यक्तिशः उपस्थित हुए हैं। प्रतिवादीगण का वादी आराजी भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी अपनी आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, यदि किसी कदर प्रतिवादीगण वादी की आराजी में दखल करते हैं, तो वादी के हक अधिकारों का हनन होता है। रिकार्डेड खातेदार का खातेदारी अधिकारों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की रक्षा अन्तर्गत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बादशाहपुर के खसरा नम्बर 161/0.13, 162/0.12, 163/0.04, 165/0.04, 168/0.21 हैक्टेयर में बेजा दखल नहीं करें, वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट तालवा दिनांक 04.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तालवा

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. भोलूराम पुत्र नन्दा जाति कीर निवासी बादशाहपुर तन तालवा बिहाजर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. मदन } पुत्रान नाथू
2. गणेश }
3. बर्फी पत्नी मदन
4. पुष्पा पत्नी गणेश
5. रामकरण पुत्र बहादुर

(1 से 5) जाति मीणा निवासी बादशाहपुर तन तालवा बिहाजर तहसील विराटनगर, जयपुर

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
7. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 113/2016 **दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 161/0.13, 162/0.12, 163/0.04, 165/0.04, 168/0.21 हैक्टेयर के किसी भाग पर जबरन कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें, वादी को खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें। वादी को शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे।

कैम्प कोर्ट तालवा में सुना गया। वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का वादी की खातेदारी भूमि से कोई संबंध नहीं है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बादशाहपुर के खसरा नम्बर 161/0.13, 162/0.12,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

163/0.04, 165/0.04, 168/0.21 हैक्टेयर में बेजा दखल नहीं करें, वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट तालवा दिनांक 04.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................. बाबत ....शून्य..................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर